

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/ 2020/704

दिनांक:- 9/10/2020

कार्यालय आदेश

आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 243 वीं बैठक दिनांक 21-09-2020 के विचार बिन्दु संख्या 243.41 में लिये गये निर्णयानुसार मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन एवं बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित होने से शेष रहे 211 (नये) आवास/प्लेटों को कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/29 दिनांक 27-05-2020 में निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार 0-25% छूट में ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से 13 वर्ष की 156 मासिक किश्तों में निस्तारण/आवंटन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती है।

(पवन अरोड़ा)

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-.....राजस्थान आवासन मण्डल,
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0,
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

क2पी

मुख्य सम्पदा प्रबंधक